छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अंतर्गत क्रियान्वयन औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम पासल तहसील भैयाथान के निजी भूमि प्रस्ताव में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन / अंकन एवं पुनर्वास व पुनार्व्यवास्थापन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा आंकलन प्रतिवेदन

कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) के आदेश क्रमांक 515/भू–अर्जन/2022 सूरजपुर, दिनांक 02.02.2022 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान जिला सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3208/भू–अर्जन/2021 भैयाथान दिनांक 28.02.2022 में सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के अकंन/मुल्यांकन एवं पुनर्वास वन पुनर्व्यवस्थापन हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 21.03.2022 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैयाथान, में आयोजित की गई जिसमे सभी नामांकित सदस्य उपस्थित थे। समिति ने सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन परिपेक्ष्य में सभी बिन्दुओं पर विचार किया गया था अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान जिला सूरजपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अधिग्रहण की जाने वाली भूमि एवं सम्बंधित खातेदारों के सम्बन्ध में जांच की गई। सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवदेन, जनसुनवाई की रिपोर्ट, राजस्व अभिलेखों एवं अन्य तथ्यों पर निरीक्षण, अवलोकन के साथ विचार करने के पश्चात विशेषज्ञ समिति का प्रतिवदेन इस प्रकार है :

आवेदक संस्थान जिला उद्योग एंव व्यापार केन्द्र सूरजपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम पासल तहसील भैयाथान की निजी भूमि के अर्जन का प्रस्ताव रखा गया है। यह भूमि लघु जल विद्युत परियोजना के लिए विचारगत है। उपरोक्त भूमि ग्राम पासल तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर में अवस्थित है।

प्रस्तुत लघु जल विद्युत परियोजना लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है। इस हेतु समस्त विकल्पों पर विचार कर लिया गया है तथा प्रस्तुत विकल्प ही न्यूनतम भू–अर्जन के साथ श्रेष्ठ है। इस विषय में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सूरजपुर द्वारा दिनांक 02.02.2017 को इसके न्यूनतम होने के विषय में प्रमाण पत्र दिया गया है। परियोजना 24 मेगावॉट की लघु जल विद्युत परियोजना होने के कारण यह परियोजना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा श्वेत परियोजना की श्रेणी में है।

इस हेतु छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अंतर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन किया जा चुका है। जिसका प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध करवाया गया है।

इस अधिग्रहण से कुल निजी भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 1.010 हेक्टेयर हैं, इसके अंतर्गत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा नं0 249, 252, 253/1 असिंचित श्रेणी की कृषि भूमि है। एवं 255/2 पड़त भूमि है, इसके अंतर्गत कोई भी आवासीय सदन नही है। प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक महत्व की भूमि अथवा भवन प्रभावित नही हो रहा है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
भैयाथान, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वंय की भूमि, जो अर्जन के लिए प्रस्तावित है जिससे उनकी आजीविका की छति हो रही है) परिवारों की संख्या 10 है। (भूखण्ड क्रमांक 249 में 04 परिवार, 252 में 03 परिवार, 253/1 में 01 परिवार एवं 255/2 में 02 भूमिस्वामियों है, जो से प्रत्यक्ष रूप से आजीविका की क्षति होने वाले परिवारों की श्रेणी में आते है जिनकी कुल संख्या 10 है)

दिनांक 23.09.2021 को ग्राम पासल तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर छ0ग0 में अपराह 12.00 बजे संदर्भित विषय अंतर्गत जन सुनवाई की आयोजन किया गया था जिसमे सभी खातेदारों की उपस्थिति थी सभी बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई सभी प्रभावित परिवारों ने प्रस्तावित प्रतिकर राषि, नियोजन के अधिकार के विकल्पों को स्वीकार किया एवं अधिग्रहण को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही कराई गई।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन उपायः परियोजना के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार का विस्थापन निरंक है। साथ ही किसी भी प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु निरंक है। अतः पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन उपायों की कोई आवष्यकता नहीं है। शेष समाघातों का प्रबधन एवं नकारात्मक प्रभावों का शमन छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

विभिन्न खातेदारों को प्रस्तावित प्रतिकर राशि एवं आजीविका विकल्प (जो चयनित किये गए) इस प्रकार हैः–

खसरा क्रमांक	भूखंड माप हेक्टेयर में	प्रतिकर हितधारक	सकल प्रतिकर राषि (रू. में)	आजीविका क्षतिपूर्ति	
				हितधारक	चयनीत विकल्प
249	0.205	रघुराम, पीताम्बर पिता रतन एवं अन्य	467654.00	रघुराम	रूपये 2000/- प्रतिमाह
				सुनील	नौकरी / नियोजन मे स्थान
				पीताम्बर	रूपये 2000/- प्रतिमाह
				सतीश	नौकरी / नियोजन मे स्थान
252	0.015	बउधा पिता समेलाल, भुनेश्वरी पुत्री समेलाल	29640.00	बउधा (शिवप्रसाद)	रूपये 2000/- प्रतिमाह
				भुनेश्वरी (फुलेश्वरी)	रूपये 2000/- प्रतिमाह
				सुरेश	नौकरी / नियोजन मे स्थान
253/1	0.340	रघुनाथ पिता हीरासाय	699536.00	रघुनाथ	रू पये 2000/- प्रतिमाह
255/2	0.450	नन्दलाल पिता बुधराम	692734.00	नन्दलाल	रूपये 2000/- प्रतिमाह
				गुलशन कुमार	नौकरी / नियोजन मे स्थान

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि :

1. इस क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना के संचालन से ट्रांसमिशन लाईन लॉस मे कमी आवेगी। इस परियोजना से विद्युत उत्पान के साथ राजस्व वृद्धि, श्रम नियोजन एवं क्षेत्रीय विकास होगा अतः यह परियोजना लोक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है। इस परियोजना के माध्यम से जल संरक्षण, सामाजिक गति में सुधार, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे परोक्ष लाभ भी अपेक्षित है।
2. अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा नं0 249, 252, 253/1 असिंचित एक फसली कृषि भूमि है एवं 255/2 पडत भूमि है। भूमि का कुल माप 1.010 हेक्टेयर है।

सहायक कलेक्टर अधिकारी राजस्व
भैयाथान, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

3. समिति के तकनीकी विशेषज्ञ ने अभिमत व्यक्त किया है कि प्रस्तावित अधिग्रहण ही न्यूनतम भू अर्जन के साथ श्रेष्ठ है।

4. परियोजना के कारण होने वाले नकारात्मक समाघात न्यूनतम एवं अस्थायी प्रकृति के है। ऐसे समाघातों का शमन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा। चूँकि इस भू अधिग्रहण में किसी प्रकार का विस्थापन नही हो रहा है अतः इस संबंध में किसी भी पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन उपाय की आवश्यकता नही है।

5. संदर्भित लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना एवं संचालन से किसी प्रकार का विस्थापन नही होवेगा।

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संदर्भित परियोजना लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है तथा भू–अर्जन से हानि न्यूनतम एवं लाभ अधिक है अतः विश्लेषण पश्चात प्रस्तुत औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

		हस्ताक्षर
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक	श्री विजय विष्वकर्मा (राजनीति शास्त्र) भैयाथान	
	श्रीमति राधिका (समाज शास्त्र) सूरजपुर	
स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि	श्रीमती विद्यात्री सिंहदेव उपाध्यक्ष जनपद पंचायत भैयाथान	शान्ता सिंह
	श्रीमति शान्ता सिंह पंच ग्राम पंचायत भैयाथान	
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ	श्री उत्तम कुमार रजक, डिप्टी कलेक्टर, जिला सूरजपुर अध्यक्ष विशेषज्ञ समिति	21/03/2022
	श्री एस.के.मिश्रा अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग प्रेमनगर	21/3/2022
परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ	श्री मोहन सिंह नागरे, अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. सेतु निर्माण उप संभाग सूरजपुर	21/03/22
भू–अर्जन अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैयाथान जिला सूरजपुर	21/3/22 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैयाथान, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सूरजपुर	श्रीमती टी0 तिग्गा	21/03/022

Scanned with CamScanner